राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री उदलसिंह उप0।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड के आदेश क्रमांक क्यू/3/एस0 डब्ल्यू0/017-7961 के माध्यम से इस प्रकरण को जिला स्तरीय प्रत्याहरण समिति द्वारा अप्रभावी एवं निष्फल प्रकृति के होने से प्रत्याहरण योग्य मानते हुए जिला लोक अभियोजक अधिकारी को प्रत्याहरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किए जाने बावत् प्रतिलिपि दिनांक 26.08.17 प्राप्त हुई।

एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 321 दप्रस उक्त आदेश के तारतम्य में प्रस्तुत कर प्रकरण के अप्रभावी एवं निष्फल प्रकृति के होने से प्रत्याहरण समिति की अनुसंशा पर प्रत्याहरित किए जाने की अनुमति देने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया।

प्रकरण धारा 279, 337, 338 भादिव तथा धारा 3/181 मोटरयान अधि0 के अधीन न्यायालय में वर्ष 2010 से लंबित है जिसमें अब तक 44 साक्षी परीक्षित कराएं जा चुके हैं। प्रकरण में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में सारवान कथन नहीं किया गया है साथ ही किसी आहत ने अभियुक्त व कथित वाहन जिससे दुर्घटना कारित होना बताई है, उसके संबंध में कोई सारवान कथन नहीं किया है। प्रकरण में गंभीर आहतगण संतोष पुत्र आदिराम, जितेन्द्र पुत्र लालसिंह, हरविलास पुत्र पन्नालाल, रंजना तथा कुसुमा के भी कथन लिए जा चुके हैं, उन्होंने सारवान रूप से अभियुक्त के संबंध में न तो अभियोजन के मामले का समर्थन किया है न ही कोई आपत्ति की है।

दप्रस की धारा 321 के अधीन अभियोजन अधिकारी प्रत्याहरण हेतु न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है। चूंकि प्रत्याहरण समिति द्वारा मामले को अप्रभावी एवं निष्फल प्रकृति का होने से प्रत्याहरण योग्य माना हैं ऐसी दशा में न्यायालय में कार्यवाही लंबित रखने का कोई समुचित कारण शेष नहीं रह जाता है।

अतः आवेदन पत्र धारा 321 दप्रस विचारोपरांत स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 321 के अधीन विचारण वापस लिए जाने का प्रभाव अभियुक्त की उक्त आरोपों के अधीन दोषमुक्ति का होगा।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति सुपुर्दगी पर हैं। अतः सुपुर्दगीनामा बंधनमुक्त हो।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे। सही /—

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)